

चुनावी राजनीति

चुनाव क्यों?

◇ 1. लोगों को अपने शासकों को चुनना होगा

लोकतंत्र में सरकार जनता की मंजूरी के बिना शासन नहीं कर सकती। लेकिन पूरी आबादी सीधे शासन नहीं कर सकती। इसलिए लोगों को ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए जो उनकी ओर से सरकार चलाएं।

चुनाव वह तरीका है जिसके माध्यम से लोग चुनते हैं कि कौन शासन करेगा और सरकार को कैसे काम करना चाहिए।

◇ 2. हरियाणा उदाहरण (1987)

यह दिखाने के लिए कि चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हैं, अध्याय हरियाणा में एक राज्य के चुनाव की कहानी कहता है।

चुनाव से पहले क्या हो रहा था?

- हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी का शासन था।
- कई लोग सरकार से नाखुश थे।
- विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध (न्याय के लिए संघर्ष) नामक आंदोलन शुरू किया।
- उन्होंने लोकदल नाम से एक नई पार्टी बनाई।
- लोकदल ने कांग्रेस से लड़ने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाया।

देवीलाल ने क्या वादा किया था?

उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीतते हैं:

- उनकी सरकार किसानों और छोटे कारोबारियों के ऋण माफ (रद्द) करेगी।

इस वादे ने बड़ी संख्या में मतदाताओं को आकर्षित किया।

◇ 3. चुनाव नतीजे दिखाते हैं जनता की पसंद

जब चुनाव हुए:

- लोकदल और उसके सहयोगियों ने 90 में से 76 सीटें जीतीं।
- अकेले लोकदल ने 60 सीटें जीतीं।
- इससे पता चलता है कि लोग देवीलाल के पक्ष में और मौजूदा सरकार के खिलाफ थे।

यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे चुनाव स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं।

◇ 4. सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण

परिणामों के बाद:

- पूर्व मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्ण तरीके से इस्तीफा दे दिया था।
- नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना।
- 3 दिन के अंदर ही वह सीएम बन गए।
- उनकी सरकार ने तुरंत अपना वादा पूरा किया और ऋण रद्द कर दिया।

यह दर्शाता है:

- चुनाव के माध्यम से सत्ता शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता बदलती है।
- कोई हिंसा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस लोगों का निर्णय।

◇ 5. नेताओं को फिर से बदला जा सकता है

यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है:

1991 के अगले चुनाव में देवीलाल की पार्टी हार गई। इस बार कांग्रेस ने जीत हासिल की और फिर से सरकार बनाई। इससे पता चलता है कि:

- लोग नाखुश होने पर नेताओं को हटा सकते हैं।
- चुनाव लोगों को नियमित रूप से सरकार बदलने की शक्ति देते हैं।

❖ हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है?

1. लोकतंत्रों में चुनाव नियमित रूप से होते हैं

गद्यांश यह कहते हुए शुरू होता है कि लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में, चुनाव नियमित रूप से होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश अपने नेताओं को चुनने के लिए चुनाव कराते हैं।

यहां तक कि कुछ देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वे भी चुनाव कराते हैं, लेकिन वे चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं।

★ 2. हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है?

यह समझने के लिए कि चुनावों की आवश्यकता क्यों है, अध्याय हमें चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना करने के लिए कहता है।

क्या हर कोई एक साथ बैठकर निर्णय ले सकता है?

- सिद्धांत रूप में, लोग खुद पर शासन कर सकते हैं यदि हर कोई निर्णय लेने के लिए हर दिन इकट्ठा होता है।
- लेकिन भारत जैसे बड़े देश में करोड़ों लोगों की आबादी में यह संभव नहीं है।
- लोगों के पास प्रतिदिन निर्णय लेने का समय, ज्ञान या व्यावहारिक क्षमता नहीं है।

इसलिए लोगों को अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए किसी की आवश्यकता होती है।

यही कारण है कि अधिकांश लोकतंत्रों में प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, जहां लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

★ 3. क्या चुनाव के बिना प्रतिनिधियों को चुनने का कोई तरीका है?

मार्ग अन्य तरीकों की पड़ताल करता है:

✓ क्या प्रतिनिधियों को उम्र के आधार पर चुना जा सकता है?

उदाहरण के लिए, सबसे पुराने लोग शासन करते हैं।

✓ क्या उन्हें शिक्षा या ज्ञान से चुना जा सकता है?

उदाहरण के लिए, केवल उच्च शिक्षित लोग ही नेता बनते हैं।

यहां तक कि अगर लोग किसी तरह इस बात पर सहमत होते हैं कि कौन "सबसे अनुभवी" या "सबसे शिक्षित" है, तो यह प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं होगी।

★ 4. लोकतांत्रिक क्यों नहीं?

ऐसी प्रणाली में बड़ी समस्याएं हैं:

- लोग अपने नेताओं को नहीं चुनेंगे।
- यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि लोग वास्तव में अपने प्रतिनिधियों को पसंद करते हैं या उन पर भरोसा करते हैं।
- उन प्रतिनिधियों को हटाने का कोई तरीका नहीं है जो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं।
- प्रतिनिधि अपनी इच्छा के अनुसार शासन कर सकते हैं, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं।

एक वास्तविक लोकतंत्र में:

- नेताओं को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
- लोगों के पास नेताओं को चुनने और बदलने की शक्ति होनी चाहिए।

★ 5. चुनाव यह तंत्र प्रदान करते हैं

इन समस्याओं को हल करने के लिए, लोकतंत्र चुनावों का उपयोग करते हैं।

✓ चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका देते हैं।

✓ चुनाव नियमित अंतराल पर (भारत में हर 5 साल में) आयोजित किए जाते हैं।

✓ चुनाव लोगों को उन नेताओं को बदलने की शक्ति देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं।

✓ चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि नेता लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करें।

इसलिए, किसी भी आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक हैं।

★ 6. चुनाव में मतदाता क्या विकल्प चुनते हैं?

गद्यांश में तीन महत्वपूर्ण विकल्प सूचीबद्ध हैं:

1. कानून बनाने वालों का चयन

मतदाता उन लोगों को चुनते हैं जो विधायिका (संसद या राज्य विधानसभा) में बैठेंगे और कानून बनाएं।

2. सरकार का चयन

मतदाता यह भी तय करते हैं कि नेताओं का कौन सा समूह (पार्टी) सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा।

3. नीतियां चुनना

मतदाता उस राजनीतिक दल को चुनते हैं जिसके विचारों, नीतियों और योजनाओं का वे चाहते हैं कि सरकार का पालन करे।

तो, एक वोट यह तय करने में मदद करता है:

- कौन शासन करता है
- क्या कानून बनाए जाते हैं
- कौन सी नीतियां सरकार का मार्गदर्शन करती हैं

❖ पांच महत्वपूर्ण शर्तें

1. हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए

यद्यपि आपके द्वारा साझा किया गया अनुच्छेद दूसरे बिंदु से शुरू होता है, पहली शर्त (पहले के पाठ से) है:

✓ प्रत्येक नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होना चाहिए।

इसका मतलब है:

- किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिलाएं, शिक्षित हो या अशिक्षित- सभी का वोट बराबर होता है।

★ 2. चुनने के लिए कुछ होना चाहिए

गद्यांश कहता है:

उन्होंने कहा, 'पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और मतदाताओं को कुछ वास्तविक विकल्प देना चाहिए।

इसका क्या मतलब है:

- चुनावों को वास्तविक विकल्प प्रदान करना चाहिए।
- लोगों को अलग-अलग उम्मीदवारों या पार्टियों के बीच चयन करने में सक्षम होना चाहिए।
- जो कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है, उसे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एक लोकतांत्रिक चुनाव बेकार है यदि:

- केवल एक राजनीतिक दल को अनुमति है।
- केवल एक उम्मीदवार खड़ा हो सकता है।
- लोग एक विशेष नेता को वोट देने के लिए मजबूर हैं।

★ 3. चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए

गद्यांश कहता है:

"हर कुछ वर्षों के बाद नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए।

यह महत्वपूर्ण क्यों है:

- नेता हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रह सकते।
- लोगों को नाखुश होने पर नेताओं को हटाने का मौका मिलना चाहिए।
- नियमित चुनाव सरकार को जवाबदेह रखते हैं।

भारत में, चुनाव हर जगह होते हैं:

- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष।

यदि चुनाव नियमित नहीं होते हैं, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है।

★ 4. जनता की पसंद के उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए

इस स्थिति का अर्थ है:

✓ जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उसे जीतना चाहिए।

✓ परिणाम लोगों की पसंद को प्रतिबिंबित करना चाहिए, न कि सत्ता में बैठे लोगों की पसंद को।

यदि नेताओं का चयन किया जाता है:

- समूह
- राजा

- धार्मिक नेता
- केवल शक्तिशाली समूह

फिर यह **लोकतांत्रिक चुनाव** नहीं है।

जीतने वाला उम्मीदवार **मतदाताओं द्वारा चुना जाना चाहिए**, न कि बंद दरवाजों के पीछे चुना गया कोई व्यक्ति।

★ 5. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए

यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।

उन्होंने कहा, 'चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाने चाहिए जहां लोग अपनी इच्छानुसार चुनाव कर सकें।

इसका मतलब है:

- मतदाताओं पर कोई अनुचित दबाव नहीं (कोई धमकी, हिंसा या रिश्वत नहीं)।
- कोई धोखाधड़ी, हेराफेरी या सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं।
- सभी उम्मीदवारों को उचित मौका मिलना चाहिए।
- मतदाताओं को मतदान करते समय सुरक्षित महसूस करना चाहिए।
- गिनती ईमानदार होनी चाहिए।

❖ **क्या यह अच्छा है कि राजनीतिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है?**

★ 1. चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शामिल होती है

मार्ग यह समझाते हुए शुरू होता है:

- चुनाव मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा के बारे में होते हैं - पार्टियां और उम्मीदवार जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर: पार्टियां प्रतिस्पर्धा करती हैं।
- निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर: व्यक्तिगत उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- प्रतिस्पर्धा के बिना, चुनाव अर्थहीन होंगे, क्योंकि मतदाताओं के पास विकल्प नहीं होंगे।

केवल एक उम्मीदवार के साथ एक चुनाव की कल्पना करें - क्या बात होगी?

★ 2. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अवगुण

पाठ बताता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अक्सर समस्याएं पैदा करती है:

■ (a) यह फूट और विभाजन पैदा करता है

लोग अलग-अलग पार्टियों का समर्थन करने वाले समूहों में विभाजित हो जाते हैं। इससे गुटबाजी होती है - समूह एक-दूसरे से लड़ते हैं या बहस करते हैं।

■ (b) "दलगत राजनीति" संघर्ष का कारण बनती है

कई इलाकों में लोग कहते हैं:

- यह दलगत राजनीति के कारण हो रहा है। इसका मतलब है कि निर्णय आम भलाई के बजाय पार्टी के हितों से प्रभावित होते हैं।

■ (c) नेता एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं

पार्टियां अक्सर नकारात्मक प्रचार का उपयोग करती हैं:

- एक-दूसरे को दोष देना
- नाम पुकारना
- झूठे आरोप लगाना इससे कड़वाहट पैदा होती है।

■ (d) उम्मीदवार कभी-कभी अनुचित या "गंदी" तरकीबों का उपयोग करते हैं

उदाहरण:

- नकली वादे
- मतदाताओं को रिश्वत देना
- अफवाहें फैलाना
- धन या शक्ति का दुरुपयोग

■ (e) जीतने का दबाव दीर्घकालिक योजना को रोक सकता है

जल्दी से जीतने के लिए, नेता सोचते हैं:

- "अब लोग मुझे वोट देने के लिए क्या करेंगे?" नहीं:
- अगले 20 वर्षों में देश की क्या मदद करेगा?

दीर्घकालिक विकास पर अल्पकालिक लाभों को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है।

■ (च) अच्छे लोग राजनीति से बच सकते हैं

कुछ प्रतिभाशाली और ईमानदार लोग दूर रहते हैं क्योंकि:

- वे कीचड़ उछालना और प्रतिस्पर्धा को नापसंद करते हैं।
- वे झगड़े और आरोपों का हिस्सा नहीं बनना चाहते।

ये सभी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वास्तविक समस्याएं हैं।

★ 3. लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने फिर भी मुक्त प्रतिस्पर्धा को चुना

इन नुकसानों के बावजूद, हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया। क्यों?

क्योंकि लंबे समय में, प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बेहतर काम करती है।

★ 4. वास्तविक दुनिया में प्रतिस्पर्धा क्यों आवश्यक है

यह मार्ग बताता है कि एक आदर्श दुनिया में:

- सभी नेताओं को पता होगा कि लोगों के लिए क्या अच्छा है।
- सभी नेता केवल देश की सेवा के लिए काम करेंगे।
- नेताओं को ईमानदार बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं होगी।

लेकिन दुनिया आदर्श नहीं है।

वास्तविक जीवन में:

- हर जगह नेता सत्ता, पद और सफलता चाहते हैं।
- वे लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन हम केवल उनकी ईमानदारी या कर्तव्य की भावना पर भरोसा नहीं कर सकते।

- कभी-कभी नेताओं को पता नहीं होता है कि लोग क्या चाहते हैं।
 - कभी-कभी उनके विचार लोगों की जरूरतों से मेल नहीं खा सकते हैं।
- इसलिए हमें नेताओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है।

★ 5. हम वास्तविक जीवन के राजनीतिक व्यवहार से कैसे निपटते हैं?

दो तरीके हैं:

विकल्प 1: नेताओं के चरित्र और ज्ञान में सुधार करें

अच्छा विचार है, लेकिन यथार्थवादी नहीं। हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हर नेता परिपूर्ण होगा।

विकल्प 2: एक ऐसी प्रणाली बनाएं जहां नेताओं को पुरस्कृत या दंडित किया जाए

यह अधिक व्यावहारिक है।

लेकिन इनाम या सजा कौन देता है?

→ लोग।

★ 6. चुनावी प्रतिस्पर्धा क्या करती है?

चुनावी प्रतिस्पर्धा लोगों को इसकी अनुमति देती है:

- अच्छे नेताओं या अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत करें
- बुरे नेताओं या खराब प्रदर्शन को दंडित करें

यह मतदान के माध्यम से होता है।

✓ अगर अगुआ अच्छा काम करते हैं, तो सही मुद्दे उठाएं और लोगों को संतुष्ट करें

→ उन्हें फिर से वोट पाकर पुरस्कृत किया जाता है।

✓ अगर नेता अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं

→ उन्हें वोट देकर दंडित किया जाता है।

यह नेताओं को रखता है:

- सतर्क
- जिम्मेदार
- जनता की बात सुनने को मजबूर
- वास्तविक मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया

❖ हमारी चुनाव प्रणाली क्या है?

भारत में निर्वाचन क्षेत्र

भारत में चुनाव प्रतिनिधित्व की एक क्षेत्र-आधारित प्रणाली पर आधारित होते हैं, न कि एक ऐसी प्रणाली पर जहां हर कोई सभी प्रतिनिधियों के लिए वोट करता है। यह निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और मतदान प्रक्रिया को प्रबंधनीय बनाता है।

1. हरियाणा में 90 विधायक कैसे चुने

- हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विधान सभा के एक सदस्य (विधायक) का चुनाव करता है।
- हर मतदाता सभी 90 विधायकों को वोट नहीं देता है; प्रत्येक मतदाता केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के लिए मतदान करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का विधानसभा में अपना प्रतिनिधि हो।

2. संसदीय चुनाव (लोकसभा)

- भारत को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक संसद सदस्य (सांसद) का चुनाव करता है।
- यह प्रणाली एक व्यक्ति, एक वोट सुनिश्चित करती है: प्रत्येक वोट का मूल्य लगभग समान होता है।

समान जनसंख्या सिद्धांत

- संविधान के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी लगभग समान होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को चुनावों में अनुचित लाभ या नुकसान न हो।

3. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

- प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एक विशिष्ट संख्या में विभाजित किया गया है।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक विधायक का चुनाव होता है।
- एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।
- यह प्रतिनिधित्व का एक स्पष्ट पदानुक्रम बनाता है:
 - विधायक → स्थानीय मुद्दे
 - सांसद → राष्ट्रीय मुद्दे

4. स्थानीय चुनाव: पंचायतें और नगर पालिकाएं

- गांवों और कस्बों को वार्डों में विभाजित किया गया है, जो छोटे निर्वाचन क्षेत्रों की तरह हैं।
- प्रत्येक वार्ड पंचायत (ग्राम परिषद) या नगर निकाय के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय शासन प्रतिनिधि और जवाबदेह है।

5. "सीटों" के रूप में निर्वाचन क्षेत्र

- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा में एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है।
- उदाहरण: "लोकदल ने हरियाणा में 60 सीटें जीतीं"
 - मतलब: लोकदल ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की।
 - नतीजतन, हरियाणा विधानसभा में लोकदल के 60 विधायक थे।
- इसी तरह, संसद में सीटें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सांसदों के अनुरूप होती हैं।

6. यह प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है

- चुनावों को प्रबंधनीय बनाता है: लोग केवल स्थानीय उम्मीदवारों के लिए वोट करते हैं।
- निष्पक्ष और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है: प्रत्येक क्षेत्र की सरकार में एक आवाज होती है।

- राजनीतिक जवाबदेही की अनुमति देता है: स्थानीय प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं।

★ 1. संवैधानिक अधिकार बनाम वास्तविक चुनौतियां

- प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है।
- हालांकि, संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि खुली चुनावी प्रतिस्पर्धा में, समाज के कुछ वर्गों को निर्वाचित होने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि उनमें कमी हो सकती है:
 - संसाधन (पैसा)
 - पढ़ाई
 - सामाजिक संपर्क
- शक्तिशाली और प्रभावशाली उम्मीदवार चुनावों में हावी हो सकते हैं, कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व से बाहर रखें।
- यदि ऐसा होता है, तो संसद और राज्य विधानसभाएं वास्तव में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी, जिससे लोकतंत्र कम प्रतिनिधि बन जाएगा।

★ 2. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र: समाधान

इसे संबोधित करने के लिए, संविधान कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

- अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं।
- अनुसूचित जाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र: केवल अनुसूचित जाति का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है।
- अनुसूचित जनजाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र: केवल अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है।

वर्तमान संख्या (26 जनवरी 2019 तक):

- लोकसभा: 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।
- ये संख्याएँ उनकी जनसंख्या के समानुपाती होती हैं, इसलिए कोई अन्य समूह अपना उचित हिस्सा नहीं खोता है।

★ 3. आरक्षण का विस्तार

- बाद में इस प्रणाली को जिला और स्थानीय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तक बढ़ा दिया गया था।
- कई राज्यों में, ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) और शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और निगमों) में कुछ सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
- आरक्षित सीटों का अनुपात राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है।

★ 4. महिलाओं के लिए आरक्षण

- महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
- यह पंचायतों और नगर निगम चुनावों पर लागू होता है।

★ 5. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का महत्व

एक. यह सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्गों को विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व मिले।

दो. लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधि बनाता है।

तीन. हाशिए पर रहने वाले समूहों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

चार. प्रभावशाली और साधन संपन्न उम्मीदवारों की शक्ति को संतुलित करता है जो अन्यथा चुनावों पर हावी हो सकते हैं।

★ 1. मतदाता सूची क्या है?

- निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय लेने के बाद, चुनाव में अगला कदम यह तय करना है कि कौन मतदान कर सकता है।
- यह चुनाव से पहले अच्छी तरह से किया जाता है; यह अंतिम दिन तय नहीं किया जाता है।
- पात्र मतदाताओं की आधिकारिक सूची को मतदाता सूची कहा जाता है, जिसे आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह सुनिश्चित करता है कि पात्र सभी को मतदान करने का समान अवसर मिले।
- लोकतांत्रिक चुनावों की पहली शर्त से जुड़ा हुआ है: हर किसी को अपने प्रतिनिधियों को निष्पक्ष रूप से चुनने में सक्षम होना चाहिए।

★ 2. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ी का सिद्धांत

- भारत में, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है।
- प्रत्येक मतदाता को एक वोट मिलता है, और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है।
- किसी को भी बिना किसी वैध कारण के मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य विचार:

भले ही नागरिक धन, शिक्षा, सामाजिक स्थिति या व्यक्तित्व में भिन्न होते हैं, लेकिन जब मतदान की बात आती है तो सभी समान होते हैं।

- मतदान यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपनी बात कहने का अधिकार है।

★ 3. मतदान में समानता

- जाति, धर्म या लिंग मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है।
- मतदान सार्वभौमिक है और सभी पात्र नागरिकों के लिए समान है।

★ 4. अपवाद

- कुछ समूहों को मतदान करने की अनुमति नहीं है, जैसे:
 - कुछ अपराधी (कानून के आधार पर)
 - अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति (जैसा कि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है)

ये अपवाद चुनाव की अखंडता की रक्षा के लिए मौजूद हैं।

★ 5. मतदाता सूची का महत्व

एक. योग्य मतदाताओं की स्पष्ट रूप से पहचान करता है।

दो. अवैध मतदान और धोखाधड़ी को रोकता है।

तीन. यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र को बनाए रखते हुए हर वोट समान रूप से मायने रखता है।

चार. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

भारत में वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। राज्यवार निर्वाचन क्षेत्र और सांसद के नामों के बारे में जानने के लिए राज्यवार सूची नीचे दी गई है, राज्य लिंक पर क्लिक करें।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नहीं। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
1	<u>आंध्र प्रदेश</u>	25
2	<u>अरुणाचल प्रदेश</u>	2
3	<u>असम</u>	14
4	<u>बिहार</u>	40
5	<u>छत्तीसगढ़</u>	11
6	<u>गोवा</u>	2
7	<u>गुजरात</u>	26
8	<u>हरियाणा</u>	10
9	<u>हिमाचल प्रदेश</u>	4
11	<u>झारखंड</u>	14
12	<u>कर्नाटक</u>	28
13	<u>केरल</u>	20
14	<u>मध्य प्रदेश</u>	29
15	<u>महाराष्ट्र</u>	48
16	<u>मणिपुर</u>	2
17	<u>मेघालय</u>	2
18	<u>मिजोरम</u>	1
19	<u>नागालैंड</u>	1

20	<u>ओडिशा</u>	21
21	<u>पंजाब</u>	13
22	<u>राजस्थान</u>	25
23	<u>सिक्किम</u>	1
24	<u>तमिलनाडु</u>	39
25	<u>तेलंगाना</u>	17
26	<u>त्रिपुरा</u>	2
27	<u>उत्तर प्रदेश</u>	80
28	<u>उत्तराखंड</u>	5
29	<u>पश्चिम बंगाल</u>	42

केंद्र शासित प्रदेश वार

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नहीं। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
1	<u>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</u>	1
2	<u>चंडीगढ़</u>	1
3	<u>दमन और दीव</u>	2
4	<u>जम्मू और कश्मीर</u>	5
5	<u>लद्दाख</u>	1
6	<u>लक्षद्वीप</u>	1
7	<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली</u>	7
8	<u>पुडुचेरी</u>	1

★ 1. नामांकन क्यों महत्वपूर्ण है

- चुनावों को लोगों को एक **वास्तविक विकल्प** देना चाहिए।

- एक वास्तविक विकल्प केवल तभी मौजूद होता है जब कोई योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, न कि केवल कुछ।
- भारत की प्रणाली लगभग किसी भी व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़े होने की अनुमति देती है जो बुनियादी मानदंडों को पूरा करता है।

★ 2. चुनाव लड़ने की पात्रता

- **मतदाता पात्रता:** 18 वर्ष और उससे अधिक
- **उम्मीदवार पात्रता:** 25 वर्ष और उससे अधिक (लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए)
- **अन्य प्रतिबंध:**
 - कुछ अपराधी (गंभीर अपराधों में दोषी)
 - अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति
- ये प्रतिबंध दुर्लभ हैं और केवल चरम मामलों में ही लागू होते हैं।

★ 3. राजनीतिक दलों की भूमिका

- राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को नामित करते हैं।
- एक पार्टी द्वारा नामांकन उम्मीदवार देता है:
 - एक पार्टी का प्रतीक
 - पार्टी मशीनरी का समर्थन
- पार्टी नामांकन को पार्टी "टिकट" भी कहा जाता है।

★ 4. नामांकन की प्रक्रिया

एक. एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, वह नामांकन फॉर्म भरता है।

दो. उन्हें एक निश्चित राशि जमा करनी होगी, जिसे सुरक्षा जमा कहा जाता है।

- यह गैर-गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकता है।

तीन. नामांकन सत्यापित होने के बाद, उम्मीदवार का नाम मतपत्र पर दिखाई देता है।

1. चुनाव अभियान

- **उद्देश्य:** मतदाताओं को प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों को चुनने में मदद करना।
- **गतिविधियाँ:** उम्मीदवार मतदाताओं से मिलते हैं, पार्टियाँ रैलियाँ आयोजित करती हैं, मीडिया बहस और समाचार कवरेज करती हैं।
- **अवधि:** आधिकारिक अभियान उम्मीदवारों की घोषणा और मतदान के दिन के बीच लगभग 2 सप्ताह तक चलते हैं, लेकिन तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है।
- **नारे/मुद्दे:** पार्टियाँ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण:
 - "गरीबी हटाओ" - कांग्रेस, 1971
 - "लोकतंत्र बचाओ" - जनता पार्टी, 1977
 - "लैंड टू द टिलर" - लेफ्ट फ्रंट, पश्चिम बंगाल, 1977
 - "तेलुगू लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करें" - तेलुगु देशम पार्टी, 1983

नियम और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)

- मतदाताओं को कोई रिश्वत या धमकी नहीं दी जाएगी।
- जाति या धर्म के आधार पर कोई अपील नहीं।
- प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया।
- खर्च सीमा: लोकसभा के लिए 25 लाख रुपये, विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख रुपये।
- एमसीसी प्रतिबंध:
 - प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग करना
 - चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री शिलान्यास या बड़े नीतिगत वादे करते हैं

2. मतदान (मतदान दिवस)

- मतदाता मतदान केंद्रों (स्कूलों, कार्यालयों, आदि) पर वोट डालते हैं।
- **सत्यापन:** मतदाता की पहचान की जांच की जाती है, उंगली से चिह्नित किया जाता है, और ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का उपयोग करके वोट डाला जाता है।
- **पोलिंग एजेंट:** निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित रहें।
- **मतदान प्रणाली:**
 - इससे पहले: मतपत्र
 - अब: उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न वाली ईवीएम

3. गिनती और परिणाम

- मतदान के बाद ईवीएम को सील कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है।
- वोटों की गिनती एक **निश्चित तिथि पर** उम्मीदवार एजेंटों के साथ की जाती है।
- **विजेता:** निर्वाचन क्षेत्र में **सबसे अधिक वोट पाने वाला** उम्मीदवार।
- उदाहरण: **गुलबर्गा, 2014**
 - कुल मतदाता: 17.21 लाख
 - वोट डाले गए: 9.98 लाख (~58% मतदान)
 - विजेता: मल्लिकार्जुन खड़गे (आईएनसी) 50.82% वोटों के साथ

4. चुनाव की लागत

- सरकारी खर्च (2014 लोकसभा): ~₹3,500 करोड़ (~₹40 प्रति मतदाता)
- पार्टियों/ उम्मीदवारों सहित कुल: ~₹30,000 करोड़ (~₹500 प्रति मतदाता)
- की तुलना में:
 - परमाणु पनडुब्बियां: ₹3,000 करोड़ प्रत्येक
 - 2010 राष्ट्रमंडल खेल: ₹20,000 करोड़
- निष्कर्ष: चुनाव महंगे हैं लेकिन लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं

5. लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करना

स्वतंत्र चुनाव आयोग (ईसी)

- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लेकिन **सरकार से स्वतंत्र**
- चुनावों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है: घोषणा, आचरण, गिनती, परिणाम
- आदर्श आचार संहिता लागू की और उल्लंघन करने वालों को दंडित किया
- अनियमितताएं होने पर **फिर से मतदान का** आदेश दे सकते हैं

निष्पक्षता जांच

- मतदाता सूची सही सुनिश्चित की
- सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग पर नजर रखता है
- अतिरिक्त धन उपयोग को सीमित करता है
- मतदाताओं को डराने से रोकता है

भारत में कुछ चुनाव आम तौर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद, सच्चे लोकप्रिय समर्थन को दर्शाते हैं।

BY: NK MISHRA